HPFD-F05/388/2024-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश़–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 0.3253 ha of forest land in favour of Jal Shjakti Vibhag, for the Augmentation of Sewerage Scheme to Mandi Town and Pvoviding Swerage Facility to adjoining villages of Mandi Town, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (P.No. FP/HP/123920/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/09/88/2021/FC/191 दिनांक 29/07/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आव यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपुरक वनीकरणः**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ी कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेद ी प्रजातियों को लगाया जाएगा। सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि को अतिम स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के नाम किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) पौधरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं ळमव.बवतकपदंजमे अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यलय में प्रस्तुत किया गया है जो online web portal पर अपलोड कर लिया है।

4ण प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

5ण **भाुद्व वर्तमान मूल्यः**
क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्दे ों के अनुसार भाुद्व वर्तमान मूल्य की रा ी Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) ुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

6ण प्र्योक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तवित क्षेत्र के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर जंहा भी सम्भव होगा अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को रोपित कर Greenery को maintain करने के बाबत undertaking प्रस्तुत किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

7ण एफ0आर0ए0 पूर्ण अनुलग्नकों के साथ upload कर लिया गया है।

8ण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्याालय ने अपने इस आदे ा में यह भी स्पष्ट किया है कि ने ानल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओद ा लागू नहीं होगा।

9ण राज्य सरकार से सम्बन्धित है।

10ण इस प्रस्ताव को पर्यावर्णीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

11ण आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

12ण परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।

13ण प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

14ण केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

15ण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक ि ाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

16ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

17ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दे ानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

18ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्वता Upload कर दी गई है।

19ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

20ण बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

21ण इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

22ण इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

23ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे ा/अनुदे ा आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

24ण अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 22-05-2025 16:38:32

नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0